मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15

"पेयजल की गुणवत्ता एक चुनौती" राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ, सुश्री कुसुम सिंह महदेले, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग

प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस दिशा में विभागीय अधिकारियों के साथ चिन्तन, सुश्री कुसुम सिंह महदेले, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2014-15

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
	भाग – एक	
1.1	प्रस्तावना	
1.2	विभागीय संरचना–स्थापना संबंधी विवरण	
1.3	परिक्षेत्र कार्यालय	
1.4	जल परीक्षण प्रयोगशालायें	
1.5	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	
	भाग – दो	
2.1	बजट विहंगावलोकन	
	भाग – तीन	
3.1	राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं	
3.2	आदिवासी उपयोजना	
3.3	अनुसूचित जाति उपयोजना	
3.4	ग्रामीण नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन	
3.5	एकीकृत कार्य क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	
3.6	पेयजल व्यवस्था की निगरानी	
3.7	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण	
3.8	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	
3.8	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों में योजनाओं का विवरण	
3.9	जनसंकल्प 2013 के अंतर्गत विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन की स्थिति	
3.10	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	
3.11	प्रशिक्षण कार्यक्रम	
3.12	विभागीय कम्प्यूटरीकरण की प्रगति	
3.13	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	
	भाग – चार	
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	
4.2	सूचना का अधिकार	
4.3	वर्ष 2014 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	
	भाग – पाँच	
5.1	बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज	
5.2	एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल व्यवस्था	
5.3	खदान क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापना	
6	राज्य जल सहायता संगठन	
7	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम	
	भाग – छः	
6.1	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	
	भाग – सात	
7.1	सारांश	
8	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2014–15

मंत्री
माननीय सुश्री कुसुम सिंह महदेले

मंत्रालय

●	**प्रमुख सचिव**	▸	**श्री अश्विनी कुमार राय**
●	अपर सचिव (तकनीकी)	▸	श्री जी.सी. चौधरी
●	उप सचिव (स्थापना)	▸	डॉ. अमिताभ अवस्थी
●	अवर सचिव (तकनीकी)	▸	श्री एन. के. वैद्य

विभागाध्यक्ष

●	**प्रमुख अभियंता**	▸	**श्री जी.एस.डामोर**
●	प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▸	श्री जी. एस. डामोर
●	संचालक (जल सहायता संगठन)	▸	श्री जी. एस. डामोर
●	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▸	श्री सी. एस. संकुले
●	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▸	श्री आर. एस. भदौरिया
●	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▸	श्री के. के. सोनगरिया
●	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▸	श्री ए. के. जैन
●	मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▸	श्री ए. के. खरे (प्रभारी)

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

●	**प्रबंध संचालक**	▸	**श्री अश्विनी कुमार राय**
●	मुख्य महाप्रबंधक	▸	श्री एन.पी. मालवीय

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना :–

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की नीतियों के अनुसार, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों, शालाओं, आंगनवाड़ियों एवं गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की निर्धारित नीति/मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। विभाग में गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम (20,000 से कम जनसंख्या) की कुछ जल प्रदाय योजनाओं के कार्य भी प्रगतिरत हैं।

1.2 विभागीय संरचना – स्थापना सम्बन्धी विवरण :–

- **शासन स्तरीय :–**

  लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग मंत्रालय में प्रमुख सचिव पदस्थ हैं। उनके अधीन तकनीकी शाखा में एक अपर सचिव (तकनीकी) एवं अवर सचिव (तकनीकी) तथा स्थापना शाखा में एक उप सचिव कार्यरत हैं।

- **प्रमुख अभियन्ता कार्यालय :–**

  विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्यालय में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता (सलाहकार) भी मुख्यालय में पदस्थ हैं। विभाग में जल सहायता संगठन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर का संचालक का एक पद स्वीकृत है। प्रदेश में 5 परिक्षेत्र (चार सिविल एवं एक विद्युत/यॉंत्रिकी) कार्यालय हैं, जो मुख्य अभियन्ताओं के अधीन हैं। विभाग में स्वीकृत विभिन्न पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

- मुख्य अभियन्ता (सिविल) – 04 पद
- संचालक (जल सहायता संगठन) – 01 पद
- मुख्य अभियन्ता (वि./यां.) – 01 पद
- अधीक्षण यन्त्री (सिविल) – 24 पद
- अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.) – 05 पद
- कार्यपालन यन्त्री (सिविल) – 74 पद
- कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.) – 11 पद
- सहायक यन्त्री (सिविल) – 241 पद
- सहायक यन्त्री (वि./यां.) – 62 पद

1.3 परिक्षेत्र कार्यालय :–

विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक वि./यां. कार्यों से संबंधित है। सिविल कार्य हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्य अभियंता (सिविल) के अधीन है, परिक्षेत्र मुख्यालय

क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में स्थित हैं। सिविल कार्यों हेतु परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग हैं। विभाग में एक मुख्य अभियन्ता (वि./यां) हैं जिनका मुख्यालय भोपाल है एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश है। विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा नलकूप खनन के कार्य इनके माध्यम से किये जाते हैं।

- **मंडल कार्यालय :—**

  प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभागों में क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा सहित कुल 11 मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य किये जाते हैं तथा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर उनके द्वारा प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2 परियोजना मंडल कार्यालय क्रमशः भोपाल एवं इंदौर में स्थापित हैं। प्रत्येक मंडल कार्यालय अधीक्षण यंत्री के अधीन हैं।

- **खंड कार्यालय :—**

  मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में सिविल खंड एवं 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर 7 वि./यां. खण्ड स्थापित हैं। नर्मदा जलप्रदाय परियोजना इन्दौर के संधारण हेतु मंडलेश्वर में एक वि./यां. खण्ड नगर निगम इंदौर के अधीन कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 7 परियोजना खण्ड, 6 संधारण खण्ड, 1 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल एवं 1 गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड सरदारपुर (धार) कार्यालय स्थापित हैं।

  प्रदेश में कुल 204 उपखण्ड सिविल संकाय के एवं 44 जिलों में 46 वि./यां. उपखंड कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें जबलपुर एवं ग्वालियर जिले में एक—एक कर्मशाला उपखंड हैं। प्रत्येक उपखंड कार्यालय सहायक यंत्री के अधीन हैं। 7 जिलों क्रमशः दतिया, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर, आगर एवं सिंगरौली में वि./यां. उपखण्ड स्थापित नहीं हैं।

1.4 जल परीक्षण प्रयोगशालायें :—

राज्य स्तर :— प्रदेश में राज्य स्तर पर एक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है, जो मुख्य रसायनज्ञ/बायोलॉजिस्ट के अधीन, गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल के अंतर्गत कार्यरत् है।

जिला स्तर :— प्रत्येक जिले में एक — एक जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, प्रयोगशालायें कार्यपालन यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

उपखण्ड स्तर :— प्रत्येक जिले में उपखण्ड स्तर पर एक—एक उपखण्ड स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें सहायक यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

उपरोक्त समस्त प्रयोगशालाओं हेतु रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

पदनाम	नियमित स्थापना		कार्यभारित स्थापना		संविदा आधार पर	
	स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्
रसायनज्ञ	12	15	21	31	184	144
प्रयोगशाला सहायक	2	8	133	132	70	53

1.5 विभागीय उद्देश्य एवं कार्य :–

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण बसाहटों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल प्रदाय हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
2. ग्रामीण हैंडपंप योजनाओं का संधारण।
3. ग्रामों में राज्य शासन की नीति अनुसार नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक स्रोतों से शुद्ध एवं सुरक्षित जल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. आदिवासी आश्रम–छात्रावासों, आँगनवाड़ियों तथा ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था।
6. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं आदि का क्रियान्वयन।
7. परम्परागत जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार कर पेयजल हेतु उपयोगी बनाना।
8. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण व निगरानी।
9. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।
10. नगरीय निकायों द्वारा चाहे जाने पर, नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार करने व निक्षेप कार्य के रूप में योजनाओं का क्रियान्वयन।

2. भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन :–

विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

✸ **राज्य आयोजना के अन्तर्गत** वर्ष 2012–13 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 42546.67 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत रुपये 40825.57 लाख उपलब्ध कराए गए तथा जिसके विरुद्ध कुल रुपये 38216.89 लाख व्यय किये गये।

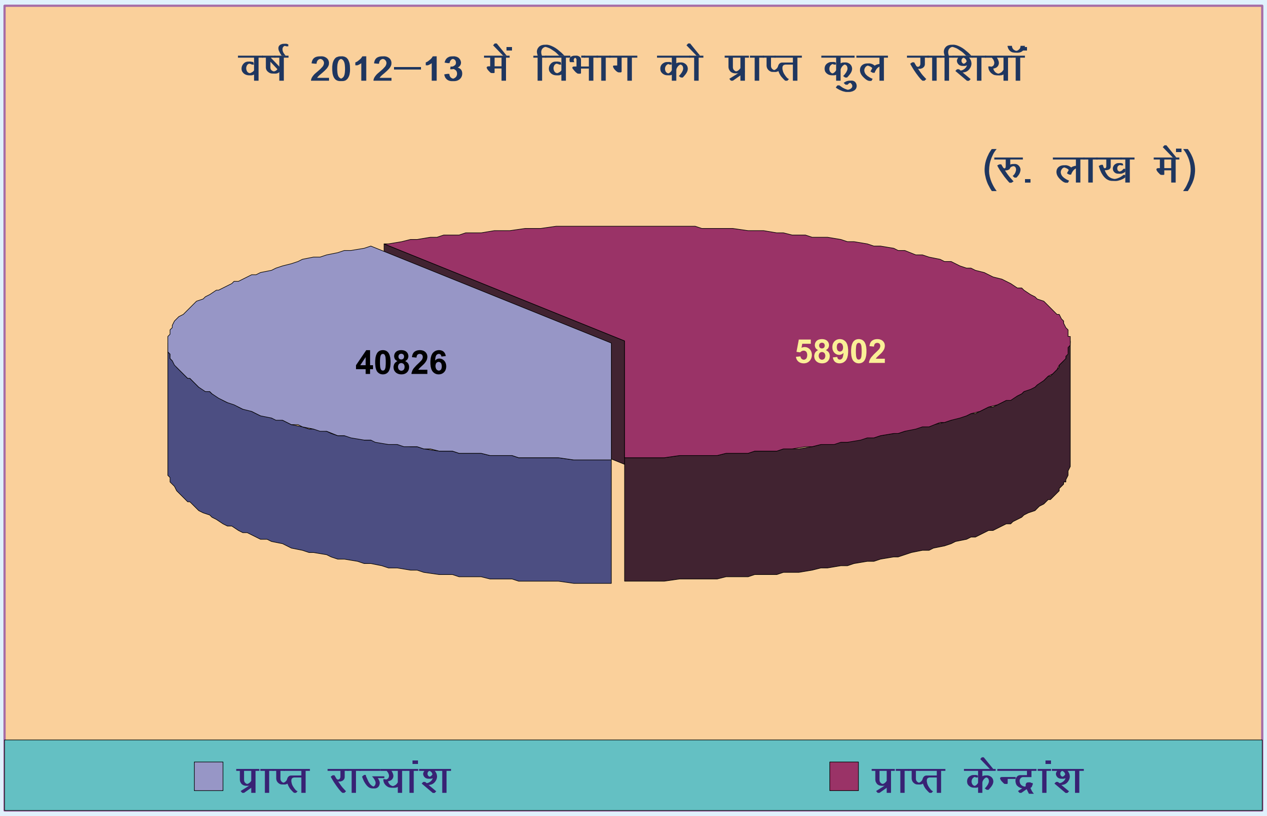

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 56416.33 लाख उपलब्ध कराये गये थे जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 41188.49 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 2486.04 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1467.06 लाख व्यय किये गये।

- राज्य आयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 62680.00 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत रुपये 52838.71 लाख उपलब्ध कराए गए तथा जिसके विरुद्ध कुल रुपये 46845.83 लाख व्यय किये गये।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत** वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 60567.26 लाख उपलब्ध कराये गये थे जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 47629.27 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों एवं के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3174.15 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1879.24 लाख व्यय किये गये।

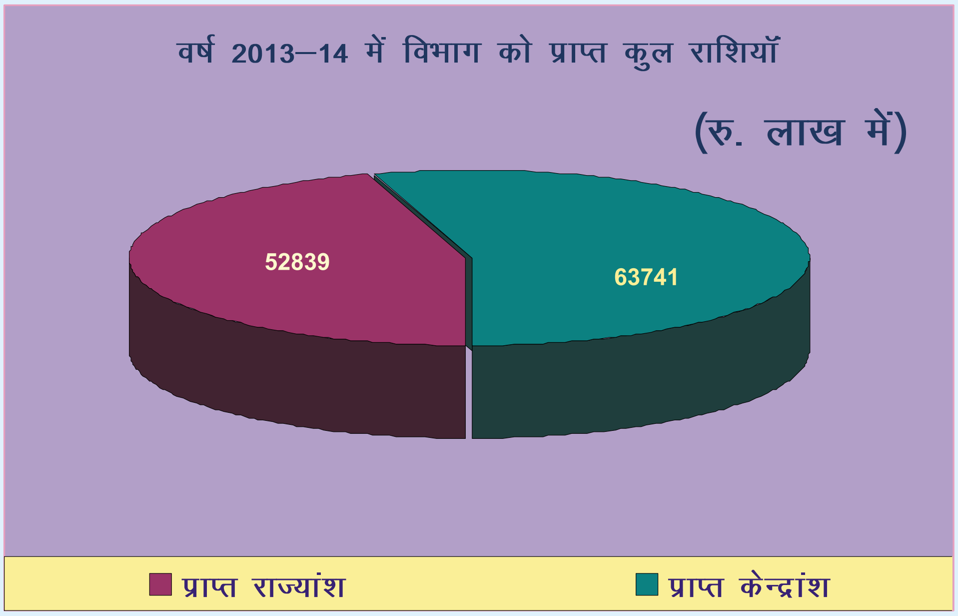

✸ **राज्य आयोजना के अन्तर्गत** वर्ष 2014–15 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 137789.03 लाख निर्धारित की गई। राज्य योजना आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 की निर्धारित योजना सीमा के अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्रांश से प्राप्त होने वाली राशियों को सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद (राज्यांश) के अन्तर्गत रुपये 44887.00 लाख उपलब्ध कराए गए तथा जिसके विरुद्ध कुल रुपये 29508.71 लाख (राज्यांश मद के अन्तर्गत) व्यय किये गये। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 50351.14 लाख उपलब्ध कराये गये थे जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 29034.83 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3134.95 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1212.59 लाख व्यय किये गये।

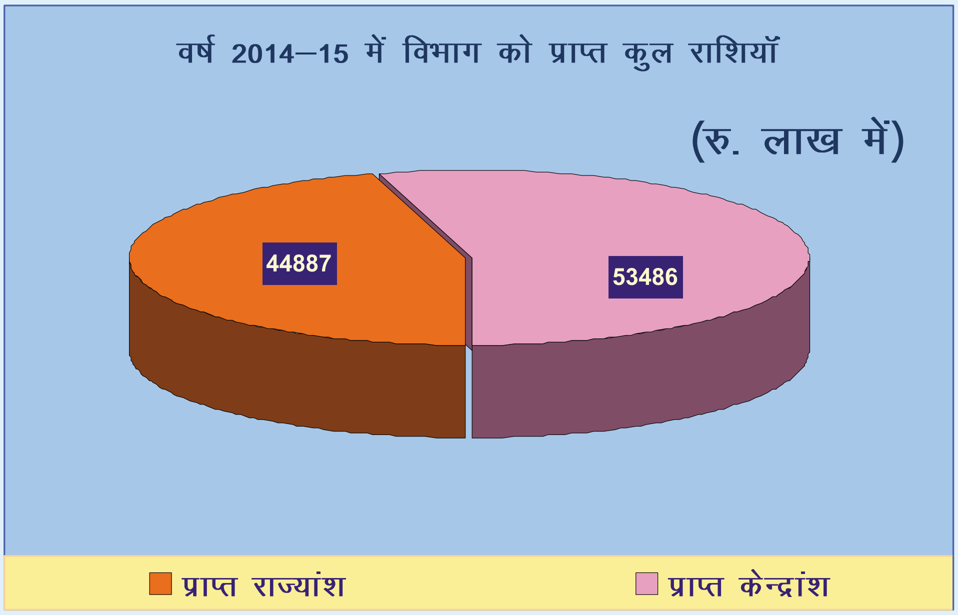

3. भाग – तीन

3.1 राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं :–

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है।

भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन नलजल योजनाओं के माध्यम वर्ष 2022 तक के लिये निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। नवीन दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल प्रदाय उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नलजल योजनाओं से पेयजल प्रदाय के वर्तमान स्तर 30 प्रतिशत को बढ़ाकर दृष्टिपत्र 2018 के अनुसार 50 प्रतिशत तक लाया जा सके।

3.1.2 बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 100 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3.1.3 बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता :–

- **प्राथमिकताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :–**

1. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था।
2. ऐसी बसाहटें जिनमें जनसंख्या के मान से न्यूनतम मात्रा में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था नही है। (अनु. जाति/अनु.जनजाति बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता)

3. 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय।

4. शासकीय भवनयुक्त ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था।

5. आदिम जाति आश्रम/छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

3.1.4 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति :–

प्रदेश में विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप 01.04.14 की स्थिति में कुल 127559 बसाहटों में से 97867 बसाहटें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से पूर्णतः आच्छादित की श्रेणी में हैं एवं 29692 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में हैं, जिसमें जल गुणवत्ता से प्रभावित 1737 बसाहटें सम्मिलित हैं।

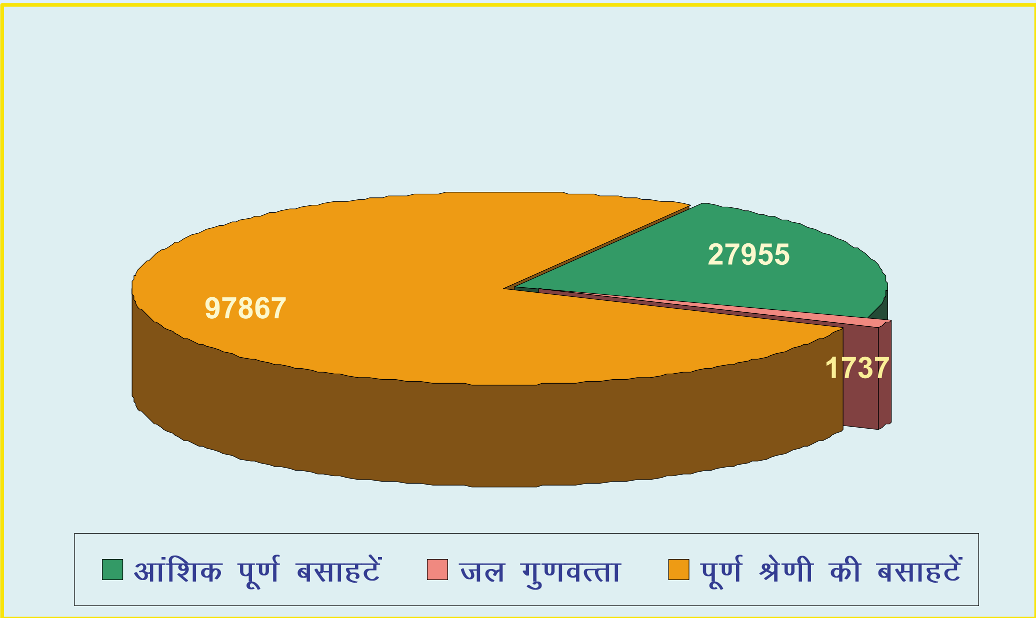

घरेलू निजी नल कनेक्शनों की सहमति हेतु विशेष अभियान, जिला अलीराजपुर

शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए अधिकाधिक जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

- **हैण्डपंप योजनाओं से आच्छादन :–**

  वर्ष 2014–15 में कुल 9500 बसाहटों के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 31 दिसंबर 2014 तक कुल 7591 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है। शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित है।

- **नल जल योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :–**

  वर्ष 2014–15 में 1500 नलजल योजनाओं से 2000 बसाहटों के आच्छादन के लक्ष्य विरुद्ध माह दिसंबर 2014 तक कुल 1433 बसाहटों/नलजल योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष बसाहटों/योजनाओं में कार्य निरंतरित है।

वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में पूर्ण की गई बसाहटों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

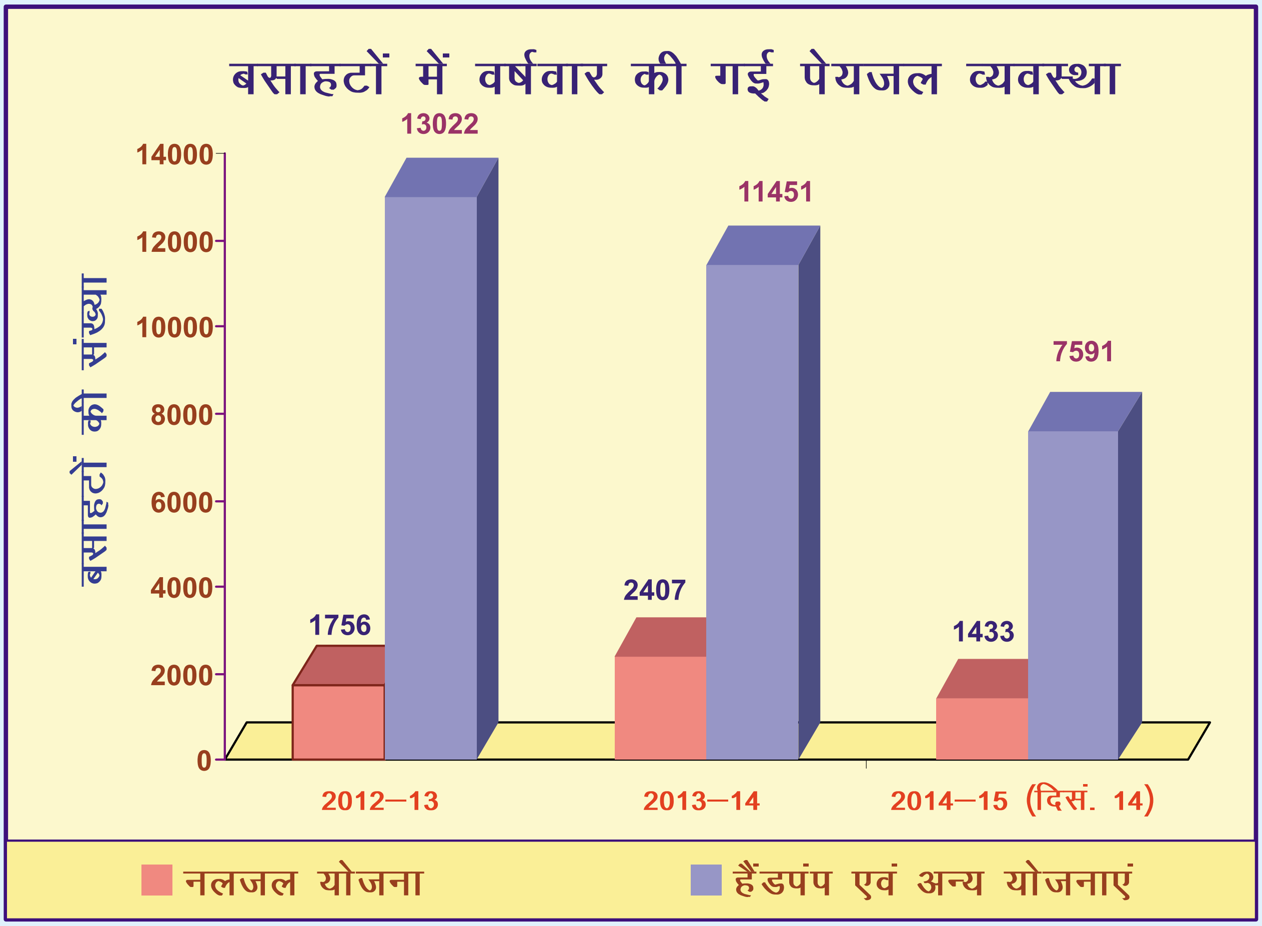

सौर ऊर्जा आधारित मुख्यमंत्री नल जल योजना से परिवार स्तर पर घरेलू निजी नल कनेक्शन

ग्राम कालीखेतर, विकासखण्ड जोबट, जिला अलीराजपुर में सौर ऊर्जा आधारित नलजल योजना से परिवारों में शतप्रतिशत नल कनेक्शन

3.1.5 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :—

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है। इनमें मुख्यतः फ्लोराईड व लौह तत्व की अधिकता पाई गई है। कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में लवणों की अधिकता के कारण खारे पानी की समस्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

प्रदेश की कुल गुणवत्ता प्रभावित चिन्हित 9183 बसाहटों में से 7446 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल दिनांक 31.3.2014 तक उपलब्ध कराया जा चुका था।

वर्ष 2014–15 में शेष 1737 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से माह दिसम्बर 2014 तक कुल 637 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष में कार्य प्रगति पर है।

पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम कुण्डालीखुर्द, परासिया, छिन्दवाड़ा में
वैकल्पिक शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु फ्लोराइड निवारण संयंत्र

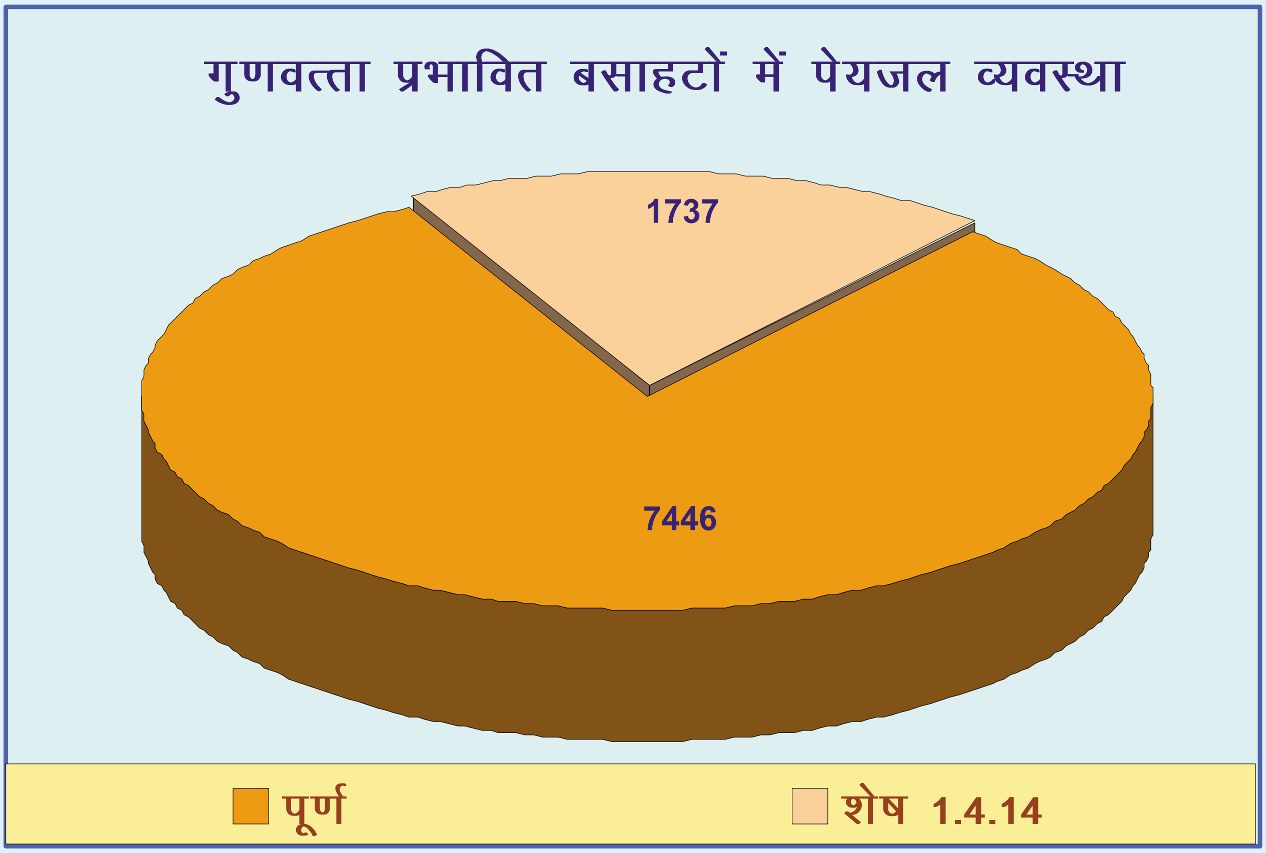

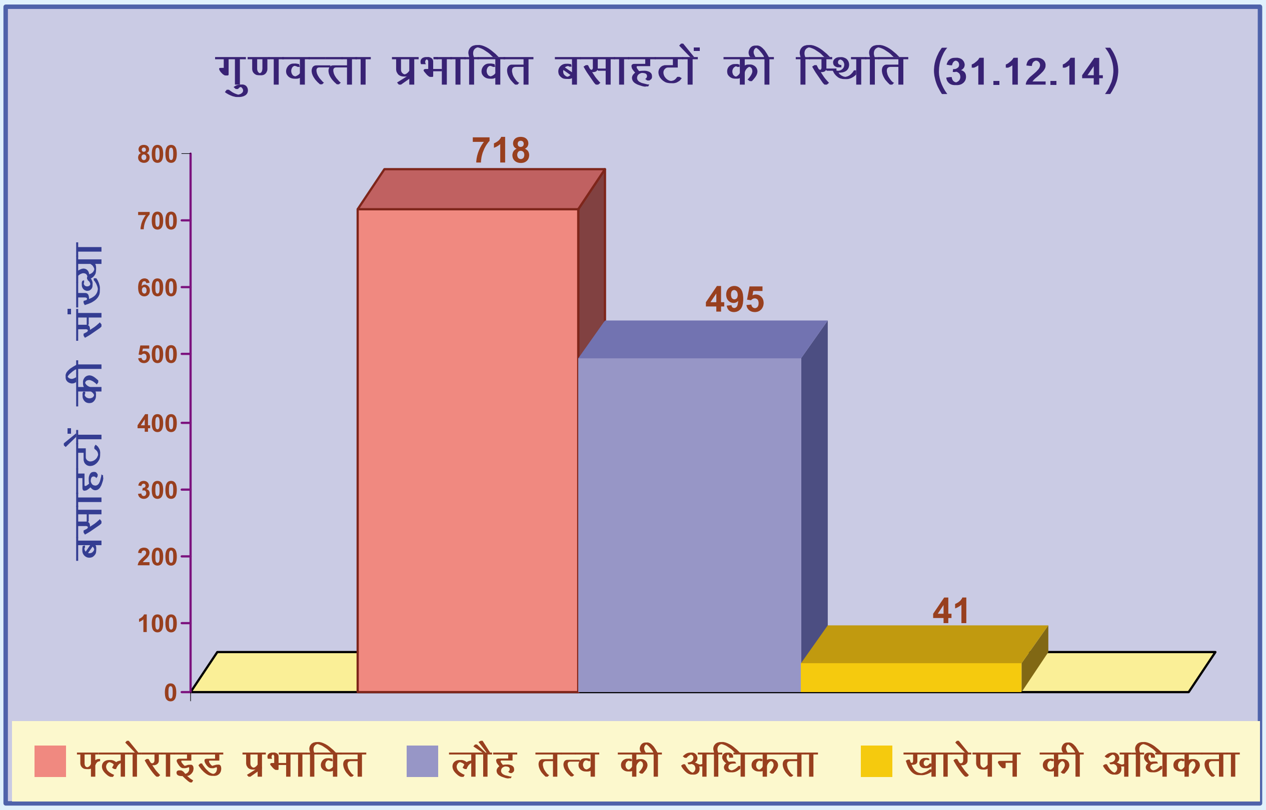

3.1.6 ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में जल प्रदाय :–

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है, तथापि ऐसी शालाएं, जिनमें स्रोत असफल अथवा गुणवत्ता प्रभावित हो गए हैं, में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2014–15 में माह दिसंबर 2014 तक 2420 पुनः पेयजल विहीन चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य 4400 के विरुद्ध माह दिसंबर 2014 तक 2572 पेयजल विहीन शासकीय भवनयुक्त ऑगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है।

3.1.7 भू जल संवर्धन एवं स्रोत स्थायित्व कार्यों की प्रगति :–

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 2600 लक्षित कार्यों के विरुद्ध माह दिसंबर 2014 तक 2491 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, विवरण निम्नानुसार है :–

चेकडैम रिचार्जसॉफ्ट सहित	–	313
परकोलेशन टैंक	–	11
डिफंक्ट बोरवेल	–	115
खुले कुँए में रिचार्ज शाफ्ट	–	99
ग्रामीण तालाबों अथवा पूर्व निर्मित चैक डैम के पास रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण	–	298

छतीय वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं	–	185
बोर फ्लशिंग / हाइड्रोफ्रैक्चरिंग	–	1304
परम्परागत स्रोतों का जीर्णोद्धार	–	166

3.1.8 आश्रम / छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण :–

प्रदेश के सभी अनुसूचितजाति / जनजाति के आश्रम / छात्रावासों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा 700 अनुसूचितजाति / जनजाति के आश्रम / छात्रावासों में सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के कार्य लक्षित हैं, माह दिसंबर 2014 तक 172 आश्रम छात्रावासों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

ग्राम बड़ागुडा विकासखण्ड जोबट जिला अलीराजपुर में
बालिका छात्रावास में सौर उर्जा से पेयजल की व्यवस्था

पानी को मत देना ढोल, बूंद–बूंद इसकी अनमोल

ग्राम भिताड़ा, विकासखण्ड सोंडवा जिला अलीराजपुर में सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था।

3.1.9 हैंडपंप–प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण :–

वर्ष 2014–15 के दौरान पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर 24000 नये प्लेटफार्म निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह दिसंबर 2014 तक कुल 19025 प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

सांसद आदर्श ग्राम "अजनास", विकासखण्ड खातेगॉव, जिला देवास में प्लेटफार्म का निर्माण

3.1.10 स्रोत सूखने से बन्द योजनाओं में स्रोत निर्माण :–

ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने से बन्द पेयजल योजनाओं में विभाग द्वारा स्रोत निर्मित कर योजना पुनः चालू की जाती है। वर्ष 2014–15 में माह दिसंबर 2014 तक 577 बन्द योजनाओं में नये स्रोत निर्मित कर योजनाएं पुनः चालू की गयीं।

3.1.11 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं का क्रियान्वयन :–

प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रतिवेदित अवधि में कुल 123 घोषणाओं के विरुद्ध कुल 85 घोषणाओं को पूर्ण किया जा चुका है, 34 घोषणाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा मात्र 02 घोषणाओं की पूर्ति शेष है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3.2 आदिवासी उपयोजना :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं।

दिनांक 1.4.14 की स्थिति में प्रदेश में आदिवासी बहुल 11863 बसाहटें आंशिक आच्छादित श्रेणी में थीं, इनमें से वर्ष 2014–15 के दौरान 4000 बसाहटों के आच्छादन के लक्ष्य के विरुद्ध 2744 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य निरंतरित हैं।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- **भौतिक उपलब्धि**

क्र.	कार्यक्रम	2012–13	2013–14	2014–15 (माह दिसंबर 2014 तक)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	5169	4620	1991
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	286	467	355
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	225	450	398
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1382	1706	537
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	–	2185	943
	कुल	**7062**	**9428**	**4224**

- **व्यय** (रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15 (माह दिसंबर 2014 तक)
1	ग्रामीण क्षेत्र	21263.40	29102.28	15924.76

ग्राम मोराजी का बयड़ा फलियां, विकासखण्ड सोण्डवा, जिला अलीराजपुर में विभाग द्वारा सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापना कर मुख्यमंत्री नल जल योजना के माध्यम से पेयजल व्यवस्था

3.3 अनुसूचित जाति उपयोजना :–

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं।

दिनांक 1.4.14 की स्थिति में प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल 7174 बसाहटें आंशिक आच्छादित श्रेणी में थीं, इनमें से वर्ष 2014–15 के दौरान 2500 बसाहटों के आच्छादन के लक्ष्य के विरुद्ध 1869 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य निरंतरित हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- **भौतिक उपलब्धि**

क्र.	कार्यक्रम	2012–13	2013–14	2014–15 (माह दिसंबर 2014 तक)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	3280	1785	1513
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	195	341	239
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	140	70	117
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	956	942	380
	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	–	1154	715
	कुल	**4571**	**4292**	**2964**

- **व्यय** (रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2012—13	2013—14	2014—15 (माह दिसंबर 14 तक)
1	ग्रामीण क्षेत्र	16205.66	19116.62	11405.24
2	नगरीय क्षेत्र	375.00	200.99	0.00
	योग :	**16580.66**	**19317.61**	**11405.24**

3.4 ग्रामीण नल जल/स्थल जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन :—

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल के लिए प्रदेश में सामान्यतः हैण्डपंप योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं किन्तु बड़े ग्रामों में अथवा ऐसे ग्रामों में जहां दूर से पानी लाया जाना आवश्यक हो, वहां नल जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। सभी नल जल/स्थल जल प्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर स्रोत सूख जाने की स्थिति में विभाग द्वारा नये स्रोत का निर्माण भी किया जाता है। जिन ग्रामों में नलकूपों में अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध हो, वहॉं हैण्डपम्प के स्थान पर पावर पंप स्थापित कर स्थल जल योजनाएं (स्पॉट सोर्स योजना) भी क्रियान्वित की जाती हैं।

राज्य शासन द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :—

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना का संचालन एवं संधारण तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।
7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलतापूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को उपलब्ध करा दी जावेगी।
8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. समूह नलजल प्रदाय योजनाओं में अंशदान की राशि योजना लागत के प्रतिशत के रूप में न ली जाकर सभी परिवारों की वहन क्षमता के आधार पर हुए निर्धारण के अनुसार जमा करनी होगी।
10. विभिन्न उपभोक्ताओं हेतु देय जलकर की राशि का निर्धारण ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जावेगा। अत्यन्त कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को समिति द्वारा जलकर जमा करने से पूर्ण अथवा आंशिक छूट भी दी जा सकती है।

ग्रामीण पेयजल योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत सदस्यों, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं ग्रामवासियों को प्रशिक्षण। जिला मन्दसौर।

3.5 एकीकृत क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था :—

एकीकृत क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिले क्रमशः मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया सम्मिलित हैं। इन जिलों की 1199 बसाहटों में सौर ऊर्जा पर आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा योजना लागत की 40 प्रतिशत एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30—30 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा रूपये 1364.76 लाख की धनराशि 694 योजनाओं के लिये उपलब्ध कराई गई थी। प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग कर वर्ष 2013—14 में 290 योजनाएं तथा 2014—15 में माह दिसंबर 2014 तक 404, इस प्रकार कुल 694 सोलर पंप आधारित योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। इन योजनाओं में से 224 सोलर पम्प नलजल प्रदाय योजनाओं को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से स्थापित किये गये हैं। इन योजनाओं में 250 तक की आबादी वाले ग्रामों में हैण्डपंपों पर सोलर पंप स्थापना, उच्चस्तरीय टंकी तथा पाईप लाईन बिछाकर ग्रामीण जनों को निजी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय सुनिश्चित किया गया है।

- **प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में स्थापित हैण्डपंप एवं नलजल प्रदाय योजनाएंः–**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

- **स्थापित हैंडपंपों की स्थिति :–**

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित शासकीय हैंडपम्प**	**531217***
2.	चालू हैंडपम्प	509825
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	21392
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	9570
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	6995
3.3	गुणवत्ता एवं अन्य कारणों से बन्द किये गये हैण्डपम्प	1027
3.4	साधारण खराबी से बन्द	3800

*उक्त संख्या में अन्य विभागों/स्थानीय विकास निधि से 47900 स्थापित हैण्डपंप भी सम्मिलित हैं।

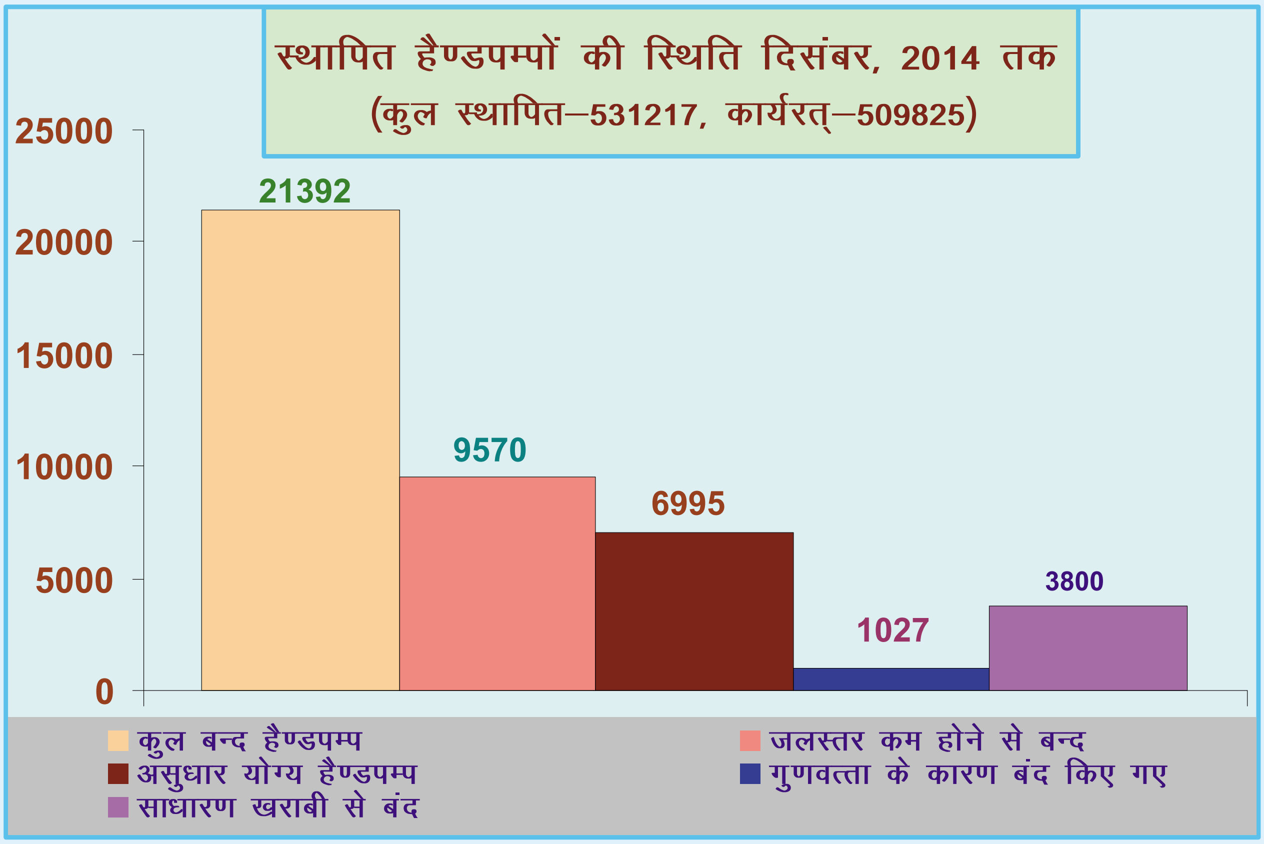

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। साधारण खराबी के कारण बन्द हैण्डपम्प निरंतर सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमित रूप से सुधारे जाते हैं, जिसके लिए सभी जिलों में हैण्डपंप मैकेनिक पदस्थ हैं। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, संभव होने पर भरे–पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः पेयजल हेतु उपयोगी बनाने के कार्य, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा कराये जाते हैं।

- **स्थापित नलजल / स्थलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति :–**

प्रदेश में 31.12.2014 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल 14465 ग्रामीण नलजल / स्थलजल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रियान्वित की गई कुल योजनाओं में चालू एवं बन्द योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

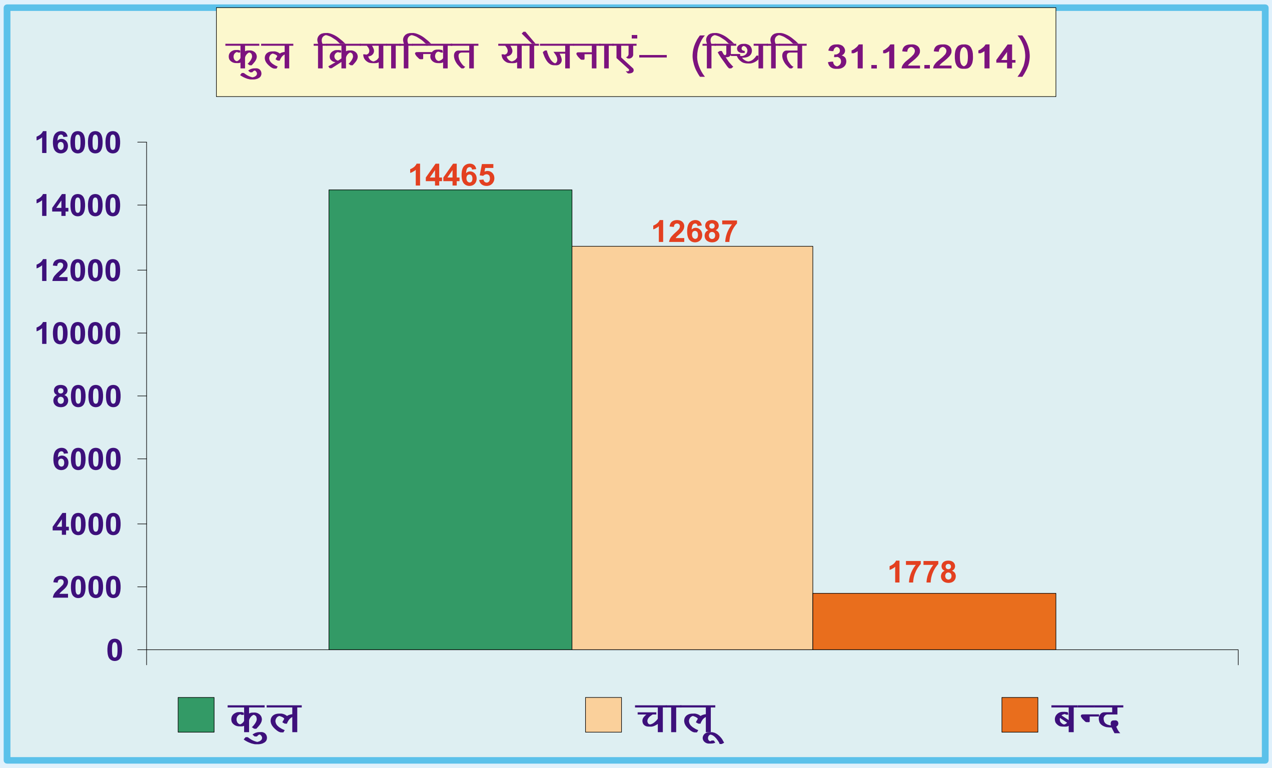

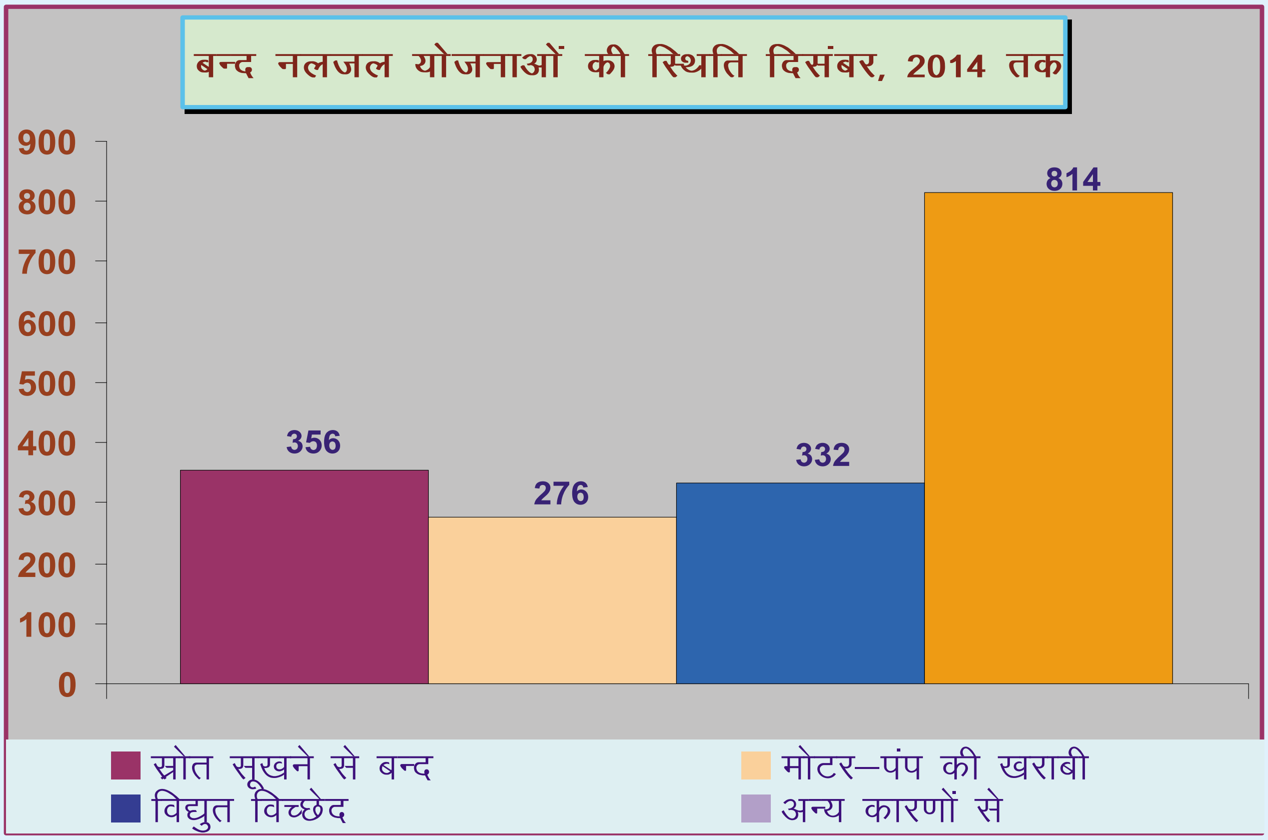

3.6 पेयजल व्यवस्था की निगरानी :—

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने हेतु स्थापित हैण्डपंपों का सतत् भौतिक निरीक्षण कराया जाता है। हैण्डपंप संधारण कार्य को लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम—2005, के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

3.7 गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण :—

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय के कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की नवीन मार्गदर्शिका के दिशा निर्देशों के अनुसार 1.4.09 से नई योजनाओं हेतु योजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

प्रदेश में 1.4.2014 की स्थिति में 14 जिलों में फ्लोराइड, 8 जिलों में लौह तत्व व 5 जिलों में खारापानी निर्धारित मानक से अधिक पाये गये हैं इन प्रदूषकों से प्रभावित बसाहटों में आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

3.7.1 फ्लोरोसिस नियंत्रण :—

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव ही किया जा सकता है। अब तक प्रदेश की कुल 1.27 लाख बसाहटों में से प्रदेश के 27 जिलों की 6746 बसाहटों के 11460 स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानदण्ड से अधिक पाई गई है। फ्लोराइड प्रभावित ऐसी 6028 बसाहटों में पेयजल के सुरक्षित स्रोत भी उपलब्ध करा दिये गये हैं, शेष 718 बसाहटों में आवश्यकतानुसार प्रदूषित स्त्रोतों के स्थान पर सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु वैकल्पिक योजनाओं के कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

3.7.2 खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं :—

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

प्रदेश के 15 जिलों के 799 ग्रामों के 1889 भू—जल स्त्रोतों में खारेपन की समस्या पायी गयी है। इन बसाहटों में से 758 ग्रामों/बसाहटों में पेयजल के वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं। खारे पानी से प्रभावित शेष 41 ग्रामों/बसाहटों में भी आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जाकर क्रियान्वित की जा रही हैं।

3.7.3 लौह तत्व की अधिकता का निराकरण :—

पेयजल में लौहतत्व की अधिकता होने से पानी लाल—भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.3 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश के 12 जिलों की 596 बसाहटों के 884 स्रोत लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित पाए गए हैं। इन अधिकांश बसाहटों में प्रायः वैकल्पिक जल प्रदाय के सुरक्षित स्रोत उपलब्ध हैं एवं जहॉ सुरक्षित जलप्रदाय की मात्रा मानदंडों से कम है, वहां लौह तत्व प्रभावित जल स्रोतों पर लौह निष्कर्षण संयंत्र स्थापित कर शुद्ध पेयजल

प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है।

3.7.4 नाइट्रेट की अधिकता का निराकरण :–

पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा 45 मिलीग्राम प्रतिलीटर है। यह प्रायः चट्टानों, खाद एवं प्रदूषण के कारण पेयजल स्त्रोतों में प्रवेश करता है। इसकी अधिकता से शिशुओं में नीलेपन का रोग उत्पन्न हो सकता है।

यह अधिकता प्रदेश के 11 जिलों की 302 बसाहटों के 446 स्त्रोतों में पायी गयी है किन्तु इन प्रभावित

रासायनिक अशुद्धि का प्रकार	प्रदेश की कुल संख्या में से प्रभावित का प्रतिशत	
	बसाहट	स्रोत
फ्लोराइड आधिक्य	1.76%	2.31%
खारापानी आधिक्य	0.34%	0.21%
लौहतत्व आधिक्य	0.38%	0.17%
नाइट्रेट आधिक्य	0.19%	0.13%

3.8 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम :–

प्रदेश में अधोसंरचना एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते हुये शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध जल भंडारों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा, भूजल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता के कारण भू–जल स्तर में निरंतर गिरावट हुई है। भूजल के निरंतर दोहन से जल गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। प्रदेश के मालवा–निमाड़ क्षेत्र तथा ग्वालियर–चंबल, रीवा तथा सागर संभागों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के भूजल स्तर में सत्त गिरावट परिलक्षित हुई है। विशेष रूप से भूजल स्तर में गिरावट के कारण जहां पूर्व में कुंओं से निरंतर पेयजल उपलब्ध हो जाता था, वहीं आज गहरे नलकूपों का खनन आवश्यक हो गया है।

भूजल संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्राम आधारकच्छ, विकासखंड कट्ठीवाड़ा,
जिला अलीराजपुर में चैक डैम का निर्माण

3.8.1 केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2010–11 में किये गये ऑकलन के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों के क्रमशः 24 विकास खंड अतिदोहित (Over-xploited), 4 विकासखण्ड दोहित (Critical) एवं 67 विकास खण्ड अर्द्धदोहित (Semicritical) श्रेणी में हैं। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। विभाग द्वारा इन विकास खंडों में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है। विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

जिला	विकास खण्डों के नाम					
	क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
बड़वानी	1	पानसेमल			1 2	राजपुर ठीकरी
धार	2 3 4 5	बदनावर धार धरमपुरी नालछा			3 4	मनावर तिरला
इंदौर	6 7 8	इंदौर सांवेर देपालपुर			5	महूँ
मंदसौर	9 10	मंदसौर सीतामऊ			6 7	मल्हारगढ़ भानपुरा
रतलाम	11 12 13 14	जावरा पिपलोदा रतलाम आलोट			8	सैलाना
शाजापुर	15 16	मोमन बड़ोदिया शुजालपुर			9 10	कालापीपल शाजापुर
उज्जैन	17 18 19	उज्जैन बड़नगर घटिया			11 12	महिदपुर खाचरौद
देवास	20 21	देवास सोनकच्छ			13	खातेगांव
आगर	22 23	नलखेड़ा सुसनेर	1	आगर	14	बड़ोद
सतना	24	रामपुर बघेलान	2 3	अमरपाटन सोहावल	15 16	नागौद मैहर
नरसिंहपुर			4	नरसिंहपुर	17 18 19	गोटेगांव करेली चॉवरपाठा
भोपाल					20 21	फंदा बैरसिया
बैतूल					22	बैतूल
बुरहानपुर					23	बुरहानपुर
छिन्दवाड़ा					24	छिंदवाड़ा

जिला	विकास खण्डों के नाम					
	क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
छतरपुर					25	छतरपुर
					26	राजनगर
					27	नौगांव
					28	बक्सवाहा
					29	बड़ा मलहरा
खरगौन					30	खरगौन
					31	महेश्वर
					32	बड़वाहा
खंडवा					33	छेगॉव माखन
नीमच					34	जावद
					35	नीमच
रीवा					36	गंगेव
					37	सिरमौर
सीधी					38	सीधी
सीहोर					39	सीहोर
					40	आष्टा
जबलपुर					41	शहपुरा
राजगढ़					42	नरसिंहगढ़
					43	खिलचीपुर
					44	सारंगपुर
					45	ब्यावरा
ग्वालियर					46	मुरार
शिवपुरी					47	खनियाढाना
					48	करेरा
					49	नरवर
					50	बदरवास
					51	पिछौर
दतिया					52	दतिया
गुना					53	गुना
मुरैना					54	मुरैना
					55	कैलारस
					56	सबलगढ़
पन्ना					57	अजयगढ़
टीकमगढ़					58	बल्देवगढ़
					59	निवाड़ी
					60	टीकमगढ़
					61	पलेरा
					62	जतारा
सागर					63	बंडा
					64	सागर
					65	रेहली
दमोह					66	पथरिया
					67	हटा

3.8.2 वर्ष 2013–14 में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण हेतु शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति से तैयार की गई भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण योजनाओं को स्वीकृत करने के लिये प्राथमिकता का निर्धारण जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर हैं, के द्वारा किया जाता है और स्वीकृति पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3.8.3 अतिदोहित विकास खंडों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न कृषि–जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर पश्चिमी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकास खंड पिपलोदा जिला रतलाम तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकासखंड रामपुर बघेलान जिला सतना में जल सुरक्षा एवं भूजल संवर्धन कार्य को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का कार्य प्रगतिरत है। इस परियेाजना के अंतर्गत ग्रामवासियों की सहभागिता से स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल भूजल संवर्धन संरचनाएं प्रस्तावित कर विभिन्न विभागों के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही हैं।

3.8.4 अतिदोहित विकासखंडों में सस्टेनेबिलिटी योजना प्रारंभ करने की भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, की योजना के अंतर्गत विकासखंड उज्जैन जिला उज्जैन, में नरवर माइक्रोवाटरशेड तथा विकासखंड धार जिला धार में जैतपुरा माइक्रोवाटरशेड में कार्य प्रगतिरत है। उक्त कार्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी सहयोग से किये जा रहे हैं।

भूजल संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्राम अम्भाजा, विकासखंड सोंडवा,
जिला अलीराजपुर में चैक डैम का निर्माण

3.8.5 प्रदेश में गिरते हुये भूजल स्तर को रोकने एवं भूजल स्त्रोतों पर बढ़ते हुए दवाब को कम करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस विषय को दृष्टि पत्र–2018 में भी सम्मिलित किया गया है। भूजल स्तर में गिरावट रोकने के लिये निम्नांकित एकीकृत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है :–

1 सतही जल के भंडारण, संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन एवं पुनर्भरण तथा प्रबंधन हेतु एकीकृत ठोस कार्यवाही।

2 सतही जल तथा भूजल के भंडारण, संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं मिले जुले उपयोग हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एकीकृत योजना बनाये जाने की आवश्यकता।

3 सतही एवं भू–जल स्रोतों के उचित उपयोग हेतु जल की उपयोगिता का प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने हेतु जलनीति तैयार की जाना आवश्यक है।

3.8.6 छतीय वर्षाजल पुनर्भरण तकनीक :–

भूजल स्त्रोतों पर पेयजल के लिए वर्तमान में हमारी निर्भरता 99 प्रतिशत से अधिक है अतः भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिये उपलब्ध वर्षाजल के उपयुक्त भंडारण, कुशल प्रबंधन तथा संरक्षण की प्रभावी तकनीक का विकास कर उसका उपयोग किया जाना वर्तमान समय की मांग है। वर्षाजल के दोहन हेतु छतीय वर्षाजल को एकत्रित कर छोटे फिल्टर के माध्यम से टंकी में संग्रहित किया जाता है। यह टंकी सामान्यतः फेरो कांक्रीट की या कुछ स्थानों पर आर.सी.सी. की निर्मित की जा रही हैं। इस संग्रहित वर्षाजल का उपयोग, सामान्य रूप से पानी को कीटाणु रहित (डिसइन्फैक्शन) कर, पेयजल हेतु किया जा सकता है।

3.9 जनसंकल्प 2013 के अंतर्गत विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन की स्थिति :–

बिन्दु क्र.	विषय	कार्यवाही
1	100 तक की आबादी वाले मजरे/टोलों में अनिवार्य रूप से एक पेयजल स्रोत।	677 चिन्हित बसाहटों (इन बसाहटों में पूर्व में न्यूनतम एक स्रोत उपलब्ध था) में से 417 बसाहटों में माह दिसंबर 14 तक कार्य पूर्ण।
2	पंचायतों को पेयजल योजना, संधारण, रख–रखाव एवं ग्रीष्मकाल का बिजली बिल का भुगतान शासन स्तर पर।	नलजल योजनाओं के संचालन में आने वाले विद्युत देयकों का भुगतान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मासिक रूप से किया जाता है। ग्रीष्मकाल में योजनाओं के रख–रखाव तथा सतत् संचालन हेतु विभाग द्वारा पंचायतों को तकनीकी एवं अन्य सहायता निरंतर उपलब्ध कराई गई।
3	निर्मल ग्रामों में निजी नल कनेक्शन का अभियान।	माह दिसंबर 14 तक प्रदेश में 164637 नये निजी नल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये। इनमें से 54217 नल कनेक्शन निर्मल ग्रामों में दिये गये। कार्य निरंतरित है।
4	हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बड़ी एवं छोटी सभी प्रकार की पेयजल योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में कम से 135 एलपीसीडी पेयजल।	ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल प्रदाय योजनाएं 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से रूपांकित की जा रही है।

बिन्दु क्र.	विषय	कार्यवाही
5	नलजल प्रदाय योजना का व्यापक अभियान।	माह दिसंबर 2014 तक 1433 नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।
6	प्रदेश की 127000 बसाहटों में से शेष 40000 ग्रामीण बसाहटों में पेयजल योजनाओं के माध्यम से 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल।	प्रदेश की 127559 बसाहटों में से 97867 बसाहटों में 1.4.14 की स्थिति में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था थी। वर्ष 2014–15 में 9126 बसाहटों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था की गई।
7	गुणवत्ता प्रभावित शेष 2100 बसाहटों में शुद्ध पेयजल।	माह दिसंबर 2014 तक 637 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की गई। प्रदेश में अब 1254 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें शेष हैं जिनमें कार्य प्रगति पर है।
8	सतही स्रोत आधारित रूपये 5 हजार करोड़ की समूह जलप्रदाय योजनाएं।	**मध्यप्रदेश जलनिगम मर्यादित** के माध्यम से – 5 समूह योजनाएं कुल लागत– 616.57 करोड़ के कार्य प्रारंभ। – 22 समूह योजनाओं कुल लागत 825.83 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही गतिशील।
9	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रख–रखाव तथा बिजली बिल ग्रीष्म ऋतु में राज्य सरकार द्वारा।	नलजल योजनाओं के संचालन में आने वाले विद्युत देयकों का भुगतान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मासिक रूप से किया जाता है। ग्रीष्मकाल में योजनाओं के रख–रखाव तथा सतत् संचालन हेतु विभाग द्वारा पंचायतों को तकनीकी एवं अन्य सहायता निरंतर उपलब्ध कराई गई।

3.10 विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण :–

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन, विभागीय रूप से, विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। बड़े ग्रामों की नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी नलकूप खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। वर्ष 2012–13 में कुल 12841 नलकूपों का खनन कार्य किया गया था जो कि अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है। वर्ष 2013–14 में कुल 11206 नलकूपों के खनन का कार्य किया गया है। वर्ष 2014–15 में माह दिसंबर 2014 तक कुल 7693 नलकूपों का खनन किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में माह दिसंबर 2014 तक 661 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाइड्रोफ्रैक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया। विभागीय रिग मशीनों से कुल 1310 नलकूपों की सफाई का कार्य भी किया गया है। विभाग में उपलब्ध यील्ड टेस्ट इकाईयों के द्वारा नलजल योजना हेतु 73 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग के पास उपलब्ध तीन इनवेल मशीनों से 38 नलकूपों की सफाई की गई।

नलकूप खनन हेतु विभाग में कुल 112 विभागीय खनन मशीनें कार्यरत हैं, जिनमें 101 डी.टी.एच. रिग, 8 रोटरी रिग (ग्रेव्हल पैक) तथा 3 काम्बीनेशन रिग मशीनें हैं। जिलों की भूसंरचना को दृष्टिगत रखते हुए

डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी एवं रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पैक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिये प्रयुक्त होती हैं। वर्तमान में 4 हाइड्रोफ्रैक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढ़ाने एवं 3 यील्ड टैस्ट यूनिट भी जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध हैं।

- **विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये कार्यों की प्रगति :—**

वर्ष	खनित नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या
2012—13	12841	11233
2013—14	11206	9886
2014—15 (माह दिसंबर 14 तक)	7693	6810

- **विभागीय वाहनों की जानकारी :—**

विभाग के पास वर्ष 1991 के बाद के 63 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं। आवश्यकतानुसार अन्य वाहन किराये पर लिये जाते हैं।

- **वर्कशॉप :—**

विद्युत/यॉंत्रिकी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जबलपुर एवं ग्वालियर में कर्मशाला उपखण्ड कार्यरत् हैं। भोपाल स्थित कर्मशाला के अन्तर्गत हल्के एवं भारी वाहनों का संधारण कार्य भोपाल स्थित मेला उपखण्ड द्वारा किया जाता है।

3.11 प्रशिक्षण कार्यक्रम :—

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, क्रियान्वयन, परिचालन एवं रख रखाव के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जल आपूर्ति, गुणवत्ता, भूजल संवर्धन तथा सफाई—व्यवस्था के क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय—समय पर इसे अद्यतन करना और लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उप—शमन मंत्रालय नई—दिल्ली के द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में सेवारत इंजीनियरों तथा अन्य अधिकारियों में आवश्यक दक्षता विकसित करने की दृष्टि से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 2012—13 में 16 प्रशिक्षण हेतु 108, वर्ष 2013—14 में 14 प्रशिक्षण हेतु 116 तथा वर्ष 2014—15 में माह दिसंबर 2014 तक 12 प्रशिक्षण हेतु 106 अधिकारी/कर्मचारियों को नामांकित किया गया। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नई दिल्ली द्वारा मुख्यतः निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये :—

1. रेन वाटर हारवेस्टिंग
2. पॉजिटिव प्रिवेन्टिव मेन्टीनेन्श एण्ड लीक डिक्टेशन इन वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेजमेन्ट

3. टेण्डर एण्ड कांट्रेक्ट
4. प्रिपरेशन आफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स
5. वाटर सप्लाई फ्राम ग्राउण्ड वाटर सोर्सेस क्वालिटी / क्वांटिटी एण्ड ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज
6. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट
7. करोजन कंट्रोल
8. सीवर क्लीनिंग एण्ड मेंटीनेंस
9. साइंटिफिक सोर्स फाइण्डिग

इसी प्रकार आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये वर्ष 2012–13 में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 90 अधिकारियों तथा वर्ष 2013–14 में 2 प्रशिक्षण हेतु 60 अधिकारियों को नामांकित किया गया। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड रायपुर द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 29 अधिकारियों को नामांकित किया गया। वर्ष 2014–15 में, दृष्टि पत्र 2018 के अंतर्गत 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिपिक स्तर के 36 कर्मचारियों को नामांकित किया गया है।

3.12 विभागीय कम्प्यूटरीकरण की प्रगति :–

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से उपखंड स्तर तक के सभी कार्यालयों हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की योजना की स्वीकृति राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन से केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त की गयी है। विभाग की गतिविधियों एवं आंकड़ों के संग्रहण हेतु कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर को विकसित किया गया है, जिनका उपयोग विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा हेतु किया जाता है, जिनमें जिलास्तर से प्रत्येक माह जानकारी भरी जाती है, एवं विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा हेतु विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयरों जैसे– परख, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, समाधान ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन समस्त सॉफ्टवेयर्स का उपयोग विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर के उपयोग से किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन साफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को अद्यतन करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर / हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :–

- **प्रमुख अभियंता कार्यालय**

प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संग्रहण, विभागीय कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर, भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर, ई–मेल से जानकारी के सम्प्रेषण एवं सामान्य पत्राचार के लिये आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता

कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई.सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से साफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय**

  विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में लेपटॉप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एवं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. एवं सी.वी.टी. भी स्थापित किये गये हैं।

- **मंडल कार्यालय**

  विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. एवं सी.वी.टी. उपलब्ध कराये गये हैं।

- **खण्ड कार्यालय**

  कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिटंर के साथ–साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोग शालाओं हेतु भी एक–एक कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं।

- **उपखण्ड कार्यालय**

  विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गांरटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टीविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखंड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- **राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला**

  राज्य अनुसंधान प्रयोग शाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑन लाईन साफ्टवेयर की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ संस्थान बनाया गया है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का अद्यतनीकरण**

  विभाग द्वारा पूर्व में विकसित विभिन्न कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर को विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है एवं तद्नुसार अद्यतन करने की कार्यवाही समय–समय पर की जाती है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव पहल :–**

  जल स्त्रोतों के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में स्थापित विभिन्न शासकीय नलकूपों के अवयव जैसे– गहराई, व्यास, जलक्षमता, पाईपों का विवरण इत्यादि की जानकारी एवं नलकूपों के चालू एवं बंद होने की स्थिति, प्लेटफार्म की स्थिति, नलकूप का फोटो इत्यादि का संग्रहण टेबलेट पी.सी. के माध्यम से करने तथा इस जानकारी को आनलाईन वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा जी.आई.एस. मेप पर उनकी स्थिति उपलब्ध करवाने की योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थापित समस्त नलकूपों की जानकारी का तथा हैण्डपंपों की चालू/बंद होने की स्थिति का अवलोकन आनलाईन वेबसाइट पर किया जा सकता है। माह दिसंबर 2014 तक 4.00 लाख से अधिक स्त्रोतों की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विभाग द्वारा विकसित उक्त साफ्टवेयर को मध्यप्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा पुरुस्कृत भी किया जा चुका है।

- **शिकायत पंजीकरण एवं निवारण की एस.एम.एस. आधारित व्यवस्था–**

  इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिगड़े हैण्डपंपों की सूचना शिकायतकर्ता द्वारा हैण्डपंप का यूनिक कोड एक टोल फ्री नंबर पर एस.एम.एस. कर शिकायत पंजीकृत की जाएगी जो सेंट्रल सर्वर द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वचलित रूप से अग्रेषित होगी। सुधार के उपरांत संबंधित अधिकारी द्वारा सूचना सेंट्रल सर्वर को प्रेषित होगी, जो निराकरण की सूचना के रूप में शिकायतकर्ता को स्वचलित प्रणाली से अग्रेषित हो जावेगी। इस सॉफ्टवेयर को विकसित कर इसका परीक्षण प्रायोगिक रूप से 04 जिलों में किया गया था, इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में प्रभावशील करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

- **कार्यों के ई–मापांकन की व्यवस्था–**

  विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के मापांकन व देयकों के भुगतान में तीव्रता व पारदर्शिता लाने हेतु ई–माप व्यवस्था के लिये एक नवीन साफ्टवेयर विकसित कराया गया है, जो परीक्षण स्तर पर है। शीघ्र ही प्रारंभिक चरण में नलकूप खनन कार्यों के माप इस साफ्टवेयर का उपयोग कर टेबलेट पी.सी. के माध्यम से लिये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। भविष्य में सभी विभागीय कार्यों के माप इसी व्यवस्था के अंतर्गत लिये जावेंगे।

- **विभागीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  विभाग द्वारा विगत वर्षो में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

- **ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया**

  शासन के निर्देशानुसार विभाग में रूपये 2.00 लाख से अधिक लागत की निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

- ## अन्य क्षेत्रों में अभिनव पहलः–

हैंडपंम्प संधारण कार्य निजी संस्थानों के माध्यम से :– विगत वर्ष तक हैंडपंप संधारण का कार्य विभागीय हैंडपंप तकनीशियनों के माध्यम से किया जा रहा था हैंडपंपों की बढ़ती हुई संख्या, राइजर पाइपों की लम्बाई में निरंतर वृद्धि एवं तकनीशियनों की घटती शारीरिक क्षमता के कारण हैंडपंप संधारण कार्य कठिन होता जा रहा था। इस कारण विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की गयी है जिसके अंतर्गत हैंडपम्पों का संधारण कार्य एक मुश्त आधार पर निविदायें आमंत्रित कर, निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ में प्रत्येक मंडल में एक विकास खंड के हैंडपम्पों का संधारण कार्य निजी संस्थानों के माध्यम से कराया गया था, जिसके उत्साह जनक परिणाम प्राप्त होने पर यह प्रक्रिया अन्य जिलों में भी अपनायी जा रही है।

टर्न की जॉब आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन :– नलजल प्रदाय योजनाओं का अब तक क्रियान्वयन, विभिन्न अवयवों की पृथक–पृथक निविदायें आमंत्रित कर किया जाता था, जिसके कारण किसी एक अवयव के अपूर्ण होने के कारण संपूर्ण योजना अधूरी रह जाती थी एवं ग्राम वासियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, अतः अब कुछ छोटी योजनाओं के संबंध में निर्णय लिया गया है कि उनका क्रियान्वयन एकमुश्त आधार पर निविदायें आमंत्रित कर किया जाये। इन योजनाओं के परिणामों के आधार पर अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की पद्धति पर विचार किया जायेगा।

- ### विभागीय वेबसाइट

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट (www.mpphed.gov.in) पर अन्य जानकारियों के साथ ही निम्न महत्वपूर्ण जानकारियॉ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

- विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
- विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।
- सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी एवं विभिन्न प्रपत्र एवं मैन्युअल ।
- विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी ।
- तकनीकी व अन्य परिपत्र / निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण।
- अधिकारियों / कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।
- विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी ।
- विभागीय फोरम।
- विभागीय उत्कृष्ठ कार्यो के वीडियो, आडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियाँ, प्रचार–प्रसार सामग्री।
- अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था वेबसाईट के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत हो।
- विभिन्न कार्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों की दक्षता का विवरण।
- विभाग में लागू दर–अनुसूचियॉ (SOR)

3.13 नगरीय पेयजल कार्यक्रम :—

3.13.1 कार्यक्रम और उपलब्धियां :—

भारतीय संविधान में 74 वें संविधान संशोधन के परिपालन में नगरीय पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को सौपी जा चुकी है। शासन द्वारा जुलाई 2000 में निर्णय लिया गया कि नगरीय निकाय, जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयं करने या लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से कराने के लिये स्वतंत्र होंगे। इसी प्रकार यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी नगरीय जलप्रदाय योजनाएं, जिनका संचालन एवं संधारण, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा था, उनका संधारण अमले सहित संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जायेगा, तदानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

दिसंबर 2014 की स्थिति में प्रदेश की केवल 2 जलप्रदाय योजनाओ को छोड़कर (सीधी एवं झाबुआ, नगरीय निकायों को हस्तांतरित नहीं हो सकी हैं एवं विभाग द्वारा इनका संचालन—संधारण किया जा रहा है) शेष योजनाएं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित—संधारित की जा रही हैं।

3.13.2 सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजना कार्यक्रम :—

नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 8 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं एवं गतिवर्धित नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम में पूर्ण की गई 39 योजनाओं के संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नगरीय जल प्रदाय योजनाओं का कार्य संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।

खुरई, जिला सागर आवर्धन पेयजल परियोजना के अन्तर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण, क्षमता 12.80 एम.एल.डी.

खुरई, जिला सागर आवर्धन पेयजल परियोजना के अन्तर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण, क्षमता 12.80 एम.एल.डी.

✸ नर्मदा जल प्रदाय परियोजना, भोपाल के कार्यों की भौतिक प्रगति विवरण :–

भोपाल नगर हेतु नर्मदा नदी पर आधारित पेयजल आवर्धन योजना के पेयजल सम्बन्धी समस्त अवयव पूर्ण किये जा चुके हैं, वर्तमान में योजना नगर निगम द्वारा संचालित की जा रही है। योजना से वर्तमान में आवश्यकतानुसार 90 से 135 एम.एल.डी. जलप्रदाय किया जा रहा है।

3.13.3 नगरीय मल जल निकास योजनाएं :–

ग्वालियर नगर की मलजल निकास योजना, पुनरीक्षित लागत रुपये 58.50 करोड़ के लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।

3.13.4 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया चिकित्सालय भोपाल हेतु नवनिर्मित तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र :–

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया चिकित्सालय भोपाल से उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट के उपचार हेतु, इस नवनिर्मित तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य, म.प्र. मानव अधिकार आयोग के निर्देश तथा प्रदूषण निवारण मण्डल भोपाल म.प्र. की अनुशंसानुसार राजधानी परियोजना खण्ड क्रमांक 2, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकीय विभाग भोपाल द्वारा निक्षेप कार्य के अंतर्गत किया गया है। संयंत्र की लागत रू. 50.00 लाख है, जो कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति द्वारा प्रदान की गई है।

तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की क्लैरीफायर एवं फ्लाक्युलेटर यूनिट, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल

उपरोक्त कार्य के साथ गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया चिकित्सालय की बाह्य सीवेज प्रणाली हेतु पूर्व में स्थापित 150 एवं 200 मि.मी. व्यास की क्षतिग्रस्त सीवर लाईन के स्थान पर 300 मि.मी. व्यास की आर.सी.सी. सीवर लाईन बिछाने का कार्य भी किया गया है, इस कार्य हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकीय विभाग को लागत राशि रू. 30.40 लाख उपलब्ध कराई गई है।

नवनिर्मित तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता 0.5 एम.एल.डी. (पांच लाख लिटर प्रतिदिन) है। संयंत्र निर्माण के कार्यस्थल का चयन इस प्रकार किया गया है जिसमें तरल अपशिष्ट को उपचार करने हेतु पंपिंग की आवश्यकता नही है। तरल अपशिष्ट स्वतः ही प्रथम यूनिट से अंतिम यूनिट तक गुरुत्वीय प्रवाह द्वारा पहुंचता है।

संयंत्र पर तरल अपशिष्ट को उपचारित करने हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंध एवं हस्तन नियम 1998 में किये गये प्रावधान (भारत के राजपत्र में 27 जुलाई 1998 को प्रकाशित केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना) अनुसार एलम एवं लिक्विड क्लोरीन का उपयोग कर संक्रमण रहित किया जाता है। तरल अपशिष्ट के उपचार उपरांत समीप स्थित लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकीय विभाग के फतेहगढ़ सीवेज पंप गृह पर शहर के सीवेज के साथ एकत्रित कर पंपिंग द्वारा पातरा सीवेज पंप हाउस पर पहुंचाया जाता है। पातरा सीवेज पंप हाउस से इसे पुनः पंपिग द्वारा 09 कि.मी. दूर स्थित माहोली दामखेड़ा स्थित मलजल शोधन संयंत्र में उपचार हेतु भेजा जाता है। माहोली दामखेड़ा मलजल शोधन संयंत्र पर प्राप्त तरल

अपशिष्ट के साथ शहर के मलजल को सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानक के अनुरूप उपचारित कर निकटतम नाले में प्रवाहित किया जाता है, जो कि बड़े तालाब के संग्रहण क्षेत्र से बाहर है।

3.13.5 राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण योजना कार्यक्रम :—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा 4 योजनाओं का कार्य किया जा रहा है जिनकी कुल लागत राशि रूपये 12487.00 लाख हैं तथा कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	योजना का नाम	लागत रूपये लाख में
1	शिवपुरी झील संरक्षण योजना जिला शिवपुरी	6951.00
2	बीहर नदी संरक्षण योजना जिला रीवा	2910.00
3	चित्रकूट नदी संरक्षण योजना जिला सतना	620.00
4	नर्मदा नदी संरक्षण योजना जिला होशंगाबाद	2006.00

4. भाग—चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1.1 न्यायालयीन प्रकरण :—

दिनांक 31.12.2014 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रमांक	न्यायालय	31.12.2014 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	258
2	माननीय उच्च न्यायालय	941
3	माननीय माध्यस्थम् अभिकरण	01
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	63
5	माननीय दावा अभिकरण	—
6	माननीय जिला न्यायालय	56
7	माननीय श्रम न्यायालय	353
	कुल योग	**1672**

4.1.2 कर्मचारी कल्याण अभियान :—

पैंशन प्रकरण :—

दिनांक 31.12.14 की स्थिति में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पैंशन प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :—

प्रकरण का विवरण	वर्ष में निरा—करण के लिये शेष पैंशन प्रकरण	लंबित पेंशन प्रकरणों का वर्गीकरण		
		विभाग के पास लंबित प्रकरणों की संख्या जो संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को भेजे जाना हैं	संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पैंशन को प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या जिनमें अभी तक पी.पी.ओ. जारी नहीं हुई है	न्यायालयीन प्रकरण संस्थित होने के कारण लंबित प्रकरण
1.4.97 से 31.12.2014 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों के प्रकरण	41	27	08	06
योग :	41	27	08	06

दिनांक 1.4.97 से पूर्व सेवानिवृत्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है।

4.1.3 स्थानान्तरण प्रकरण :–

01.01.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :–

श्रेणी	कुल स्थानान्तरण	निरस्त	शेष स्थानांतरण
प्रथम श्रेणी	08	–	08
द्वितीय श्रेणी	01	–	01

4.1.4 विभागीय पदोन्नतियां :–

विभाग में दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक राज्य स्तरीय पदों पर की गई विभागीय पदोन्नतियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1	कार्यपालन यंत्री से अधीक्षण यंत्री (सिविल)	–	01
2	सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री (सिविल)	–	01
3	सहायक मानचित्रकार से मानचित्रकार	–	12
4	अनुरेखक से सहायक मानचित्रकार	–	06
5	सहायक ग्रेड–2 से सहायक ग्रेड–1	–	11
6	सहायक ग्रेड–3 से सहायक ग्रेड–2	–	06
7	सहायक ग्रेड–3 से लेखापाल	–	01
8	निज सहायक से वरिष्ठ निज सहायक	–	03

4.1.5 विभागीय जॉच प्रकरण :–

दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रथम श्रेणी के 28 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 14 विभागीय जांच प्रकरणों में 16 अधिकारी तथा विभाग स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच के 17 प्रकरणों में 12 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है।)

द्वितीय श्रेणी के 21 अधिकारियों की विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 6 प्रकरणों में 9 अधिकारियों पर तथा विभाग स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच के 12 प्रकरणों में 12 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है।)

तृतीय श्रेणी के 127 अधिकारियों की विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 6 प्रकरणों में 77 अधिकारियों पर तथा विभाग स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच के 12 प्रकरणों में 50 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है।

विभाग में प्रथम श्रेणी के 3 अधिकारी विभागीय प्रकरणों में तथा द्वितीय श्रेणी के 2 अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी के 6 कर्मचारी अभियोजन के मामलों में निलम्बित हैं।

4.1.6 नियुक्तियॉ :–

वर्ष 2014–15 में 31.12.2014 तक सीधी भर्ती के पदों पर म.प्र. व्यावसायिक परीक्षण मण्डल भोपाल द्वारा चयनित 142 उपयंत्रियों (सिविल) के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

4.2 सूचना का अधिकार :–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :–

क्रमांक	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1. शासन स्तर पर	उप सचिव	अवर सचिव (तकनीकी)	सचिव/प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)	संयुक्त संचालक (लेखा) (संयुक्त संचालक लेखा उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	प्रमुख अभियंता
3.परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी)	संबंधित मुख्य अभियंता
4. मंडल कार्यालय/ अधीक्षण यंत्री कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत 01 जनवरी' 2014 से 31 दिसम्बर' 2014 तक 1611 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1347 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 264 आवेदनों की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, कार्यवाही प्रचलित है।

4.3 वर्ष 2014 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण :–

वर्ष 2014 में विधानसभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.	विषय	विधानसभा सत्र (फरवरी–मार्च, 14)		विधानसभा सत्र (जुलाई, 14)		विधानसभा सत्र (दिसम्बर, 14)	
		कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये
1	विधान सभा प्रश्न	20	20	164	164	38	38
2	शून्यकाल की सूचनाऍं	0	0	1	1	2	2
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएं	1	1	2	2	1	1
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0	0	0

5. भाग – पाँच

अभिनव योजनायें :–

5.1 बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज :–

भारत सरकार द्वारा बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज के प्रथम चरण में रूपये 100.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों क्रमशः सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह एवं दतिया में पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 2011 में प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत 1287 लघु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन लक्षित था। माह दिसंबर 2014 तक कुल 118 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत् थे एवं 1169 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं इस वित्तीय वर्ष में शेष योजनाओं के कार्य पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा रूपये 252.47 करोड़ की स्वीकृति पेयजल व्यवस्था हेतु दी गई है। उक्त राशि से बुंदेलखंड क्षेत्र के इन जिलों में 07 समूह नलजल प्रदाय योजनाएं कुल लागत रूपये 330 करोड़ का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा किया जा रहा हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों की कुल 196 ग्रामों की 3.50 लाख से अधिक जनसंख्या घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर सकेगी। उक्त योजनाएं मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

5.2 एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल व्यवस्था :–

प्रदेश के एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) अन्तर्गत 10 जिलों की 250 तक की आबादी वाले ग्राम/बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित पावर पम्पों की स्थापना कर पाईप लाईन द्वारा घरेलू कनेक्शन के माध्यम से 1199 बसाहटों में पेयजल प्रदाय के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। प्रथम चरण में लक्षित कुल 687 कार्यों के विरुद्ध माह दिसंबर 2014 तक 694 बसाहटों में कार्य पूर्ण कर ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

5.3 खदान क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापनाः–

प्रदेश की खदान क्षेत्र की ऐसी बसाहटें, जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम (1000 तक की आबादी) होने अथवा ग्रामीणों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण पर्याप्त संख्या में नल कनेक्शन नहीं हो पाते जिसके कारण विद्युत देयकों का भुगतान संभव नहीं होता, योजनाओं के समुचित संचालन हेतु खदान क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत रूपये 8.00 करोड़ की लागत से 115 सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापना वर्ष 2014–15 में की जाना लक्षित थी, जिसके विरुद्ध 108 योजनाओं में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापना की जा चुकी है। शेष कार्य ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से संपादित कराये जा रहे हैं।

6 राज्य जल सहायता संगठनः–

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी तथा माह अगस्त 2013 में संशोधित मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में ''राज्य पेयजल मिशन'' के अंतर्गत ''राज्य जल सहायता संगठन'' कार्यरत है। इस संगठन के

अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंध प्रणाली विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृति एवं भरे हुये पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
अ) राज्य स्तर			
1.	राज्य स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1 पद	1 पद
2.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजल विद्)	1 पद	1 पद
3.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	1 पद	—
4.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1 पद	1 पद
5.	लेखापाल	1 पद	—
6.	डाटा इंट्री आपरेटर	1 पद	1 पद
ब) जिला स्तर			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50 पद	42 पद
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50 पद	44 पद
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजल विद्)	50 पद	21 पद
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50 पद	21 पद
स) विकासखण्ड स्तर			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313 पद	290 पद
	कुल पद	**519**	**422 पद**

विभाग के भोपाल स्थित गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी अभिकरणों (एस.टी.ए.) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस संगठन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी अभिकरणों (एस. टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट), भोपाल एवं श्री गोविन्दराम सेक्सेरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस. जी.एस.आई.टी.एस.), इंदौर को चयनित किया गया है।

जल सहायता संगठन के द्वारा मुख्य रूप से संपादित की जाने वाली सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :—

- **मानव संसाधन विकास गतिविधियां :** मानव संसाधन विकास के अंतर्गत विभाग के आंतरिक एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन करते हुये विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, तथा पंचायती राज्य प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण कर विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन (TNA) कार्यशाला में सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है। इस हेतु इस वर्ष भी प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन (TNA) कार्यशाला आयोजित कर विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मॉडयूल तैयार कर राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये है।

लाभांवित समुदाय द्वारा योजनाऐं संचालित एवं संधारित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम हेतु ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन (TNA) कार्यशाला का आयोजन–भोपाल

इस वर्ष 31.12.2014 तक संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	कार्यशाला – प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन (टी.एन.ए.)	115
2.	नवनियुक्त जिला स्तरीय कंसलटेंट का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	125
3.	नवनियुक्त विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	290
4	विभागीय अभियंताओं / कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	5095
5	ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	31213
6	फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला / पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	33477

- **सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–**

  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं शुद्ध पेयजल की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण रेडियो / केबल प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत स्कूल रैली ग्राम बड़ेगांव, विकासखण्ड अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा

स्कूल रैली जागरूकता सप्ताह विकासखण्ड परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :–

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	48
2	विकासखंड स्तरीय कार्यशाला	921
3	मेला / प्रदर्शनी आयोजन	104
4	आई.ई.सी.वेन / रथ	408
5	होर्डिंग / बैनर / पोस्टर्स	24984
6	दीवार लेखन	9481
7	रेडियो / केबिल प्रसारण व एस.एम.एस.	12640
8	ग्राम सभा / ग्रुप मीटिंग	51902
9	स्कूल रैली / वाद–विवाद / निबंध	19341
10	चलचित्र प्रसारण	1322
11	आई.पी.सी. / गृह भेंट	29010
12	नुक्कड़ नाटक / गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	2011
13	प्रचार–प्रसार पत्र (पैम्फलेट्स) वितरण	221840
14	पी.आर.ए.	3462
15	उद्घोषणा (पी.ए.सिस्टम द्वारा)	25736

लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग धार द्वारा पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में "जागरुकता रथ" तैयार कर ग्रामीण जनों को जागरुक किया जा रहा है।

प्रचार–प्रसार गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भी कराया जाता है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए **अभिरूचि की अभिव्यक्ति** आमंत्रित कर राज्य स्तर से गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) किया गया है।

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग शिवपुरी द्वारा पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जागरुक करने के उद्देश्य से पी.आर.ए. का आयोजन

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत ग्राम आंवलीघाट, विकास खंड बुधनी जिला सीहोर में मेला/प्रदर्शनी का आयोजन

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत ग्राम आंवलीघाट, विकास खंड बुधनी जिला सीहोर में मेला/प्रदर्शनी का आयोजन

3. **अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां :–**

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) भोपाल एवं बिट्स (BITS), (राँची) के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (एच.जी.एम.) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

7. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम :–

जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम अंतर्गत किये जा रहे कार्य :–

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददेश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाऐं स्थापित की गई हैं। प्रदेश में 50 जिला स्तरीय, तथा 105 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें एवं राज्य मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं ।
- जिला एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रतिमाह 300 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।

- भारत सरकार द्वारा पेयजल में 17 घटकों की उपस्थिति संबंधी परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। ये घटक हैं – 1. मटमैलापन, 2. पी.एच., 3. हार्डनेस, 4. क्लोराइड, 5. क्षारीयता, 6. टी.डी. एस 7. फ्लोराइड, 8. आयरन, 9.नाईट्रेट, 10.सल्फेट, 11. मैंगनीज, 12. कॉलीफार्म 13. ई–कोलाई, 14. तापमान, 15. रंग, 16. गंध एवं 17. स्वाद परीक्षण हैं।
- इन प्रयोग शालाओं द्वारा वर्ष 2014–15 में 292671 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से लगभग 237004 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ।

फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है। साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा 2869 जल नमूनों का परीक्षण किया गया।
- वर्ष 2014–15 में 38824 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया इससे पेयजल स्त्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली ।

  वर्ष 2014–15 में जल सहायता संगठन द्वारा जिले एवं उपखण्ड स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में कार्यरत् रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायकों के संभाग (कमिश्नरी) मुख्यालयों तथा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षणों में 366 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोगशाला कार्यों का डाक्युमेन्टेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं उपकरणों के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।
- भारत सरकार द्वारा आर्सेनिक की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु फील्ड टैस्ट किट से परीक्षण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं । अतः वर्ष 2014–15 में जिलों को आर्सेनिक परीक्षण फील्ड टैस्ट किट उपलब्ध कराये गये हैं ।

ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से
पेयजल परीक्षण का प्रशिक्षण, जिला अलीराजपुर

राज्य जल सहायता संगठन के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण, सुश्री कुसुम सिंह महदेले, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

6. भाग – छः

6 विभागीय प्रकाशन से सम्बन्धित जानकारी :–

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही की जाती है।

7. भाग – सात

7.1 सारांश :–

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–14 से संशोधित मार्गदर्शिका लागू की गई है जिसके अनुसार सभी ग्रामों/बसाहटें में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 100 मीटर की परिधि में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामों अथवा बसाहटों में अधिकतम 30 मीटर ऊँचाई या निचाई पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना है। ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रायः सभी योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने तथा पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल योजना स्त्रोतों के पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो सतही स्त्रोतों पर आधारित होंगी तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की सभी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं एवं इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को करने का प्रयास किया जा रहा है।

विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये गये हैं कार्यक्रम के अंतर्गत स्थल जल परीक्षण किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश-जल

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2014—15

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक– एफ16–149 / 2012 / 2 / 34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया। मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की अधिकृत अंशपूंजी रु. 40.00 करोड़ है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्धता संबंधी कार्यो का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.2 विभागीय संरचना

संचालक मण्डल :–

1.	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं आवास पर्यावरण	–	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	–	उपाध्यक्ष
6.	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	संचालक
7.	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	–	संचालक
8.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास–पर्यावरण विभाग	–	संचालक
9.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	संचालक
10.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग	–	प्रबंध संचालक
11.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग	–	संचालक

1.3 मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित कार्यालय

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग (संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित) प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के अंतर्गत मैदानी कार्यालय 5 परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉ मुख्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में स्थापित की गई हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या
1	प्रबंध संचालक	1
2	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	1
3	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री)	7
4	महाप्रबंधक (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
5	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
6	महाप्रबंधक (निजी जन भागीदारी)	1
7	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	4
8	कम्पनी सेक्रेटरी	1
9	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1
10	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	12

1.4 निगम के उद्देश्य एवं कार्य :–

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शहरी / नगरीय / ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू–गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले जल मल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं जल मल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2. भाग – दो

2.1 विभागीय बजट वर्ष 2014–15

राशि की उपलब्धता

- कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा अंशपूजी राशि रू. 25.00 करोड़ से बढ़ाकर 40.00 करोड़ का प्रस्ताव पारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रावधानित अंश पूजी राशि रू. 15.00 करोड़ जल निगम मर्यादित को प्राप्त हो चुकी है।
- भारत सरकार के पत्र क्रमांक क्यू–11050 / 20 / 2013–एग्री, दिनांक 19 / 20.09.2013 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के लिये बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत 07 समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु रूपये 252.47 करोड की राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार

वित्त एवं व्यय विभाग प्लान फायनेंस–1 डिविजन के पत्र क्रमांक एफ–नम्बर 59 (11) पीएफ/2013–766 दिनांक 26.09.2013 द्वारा बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत 7 समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं के लिये वर्ष 2014–15 के लिये रूपये 69.80 करोड की स्वीकृति दी गई है तथा रू. 41.88 करोड विमुक्त किये गये है। उपरोक्त विमुक्त की गई राशि में से राशि रू. 5.00 करोड प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा जल निगम के खाते में जमा कराया गया है।

2.2 योजनाओं हेतु ऋण

1. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि – (RIDF-XX) अंतर्गत 09 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रु. 661.56 करोड़ के प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु नाबार्ड को प्रेषित किये गये है। आर.आई. डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रु. 47692.17 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 39414.26 लाख एवं राज्यांश राशि रु. 8277.92 लाख है।

2 नाबार्ड द्वारा वर्ष 2013–14 में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण राशि रू. 17585.00 लाख शासन को विमुक्त की गई जिसके अंतर्गत प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा राशि रू. 5731.00 लाख निगम को उपलब्ध कराये गये हैं। निगम द्वारा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर राशि रू. 6552.00 लाख का अद्यतन व्यय हुआ है।

3. भाग – तीन

3.0 समूह जल प्रदाय योजनाएं

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रस्तावित योजनाओं का चयन लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है।

मरदानपुर समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत जल शोधन संयंत्र निर्माण, क्षमता 25 एम.एल.डी.

3.1 वित्तीय वर्ष 2013–14 में नाबार्ड द्वारा RIDF-XIX अंतर्गत कुल 19 समूह जल प्रदाय योजनाओं हेतु ऋण की स्वीकृति प्रदाय की गई थी जिनमें से 11 योजनाओं के कार्यादेश जारी कर क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। 02 योजनाओं के कार्यादेश जारी किया जाना एवं 06 योजनाओं की निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदेश के 06 जिलों के अंतर्गत कुल 447 ग्रामों हेतु 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत राशि रु. 775.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 09 योजनाओं का क्रियान्वयन नाबार्ड ऋण अंतर्गत प्रस्तावित है जिनमे से वर्ष 2014–15 में नाबार्ड द्वारा RIDF-XX के अंतर्गत 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं हेतु ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 03 योजनाओं की ऋण स्वीकृति अपेक्षित है। शेष 03 योजनाओं का क्रियान्वयन बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत प्रस्तावित है।

3.4 बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत कुल 07 समूह जल प्रदाय योजनाऐं स्वीकृत है, जिनमें से 03 योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य प्रगतिरत् है तथा 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं की निविदाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

मरदानपुर स.ज.प्र.यो. जल शोधन संयंत्र निर्माण

मरदानपुर स.ज.प्र.यो. इन्टेक वेल निर्माण

मरदानपुर समूह पेयजल योजना के इन्टेक वेल का निर्माण

3.5 निजी जन भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत कुल 05 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव VGF प्राप्त करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है।

3.6 वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 29 समूह जल प्रदाय योजनाओं के स्टेज – I प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिनमें में से 06 योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 17 समूह जल प्रदाय योजनाओं का सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है। शेष 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. तैयार कराने हेतु निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. भाग – चार

4.1 प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ:

- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संचालन–संधारण हेतु ''मध्यप्रदेश ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण नियम 2014'' तैयार कर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशन किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनीसेफ के सहयोग से समूह जल प्रदाय योजनाओं के ग्रामों के 1254 जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों हेतु 27 विकासखण्ड स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन कर योजनाओं के प्रति उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के विषय में अवगत कराया गया।
- समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति ग्रामीणों में स्वामित्व का भाव विकसित करने एवं पेयजल के संबंध में जनजागृति उत्पन्न करने हेतु राज्य स्तरीय एवं परिक्षेत्र स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागी के रूप लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग, जल सहायता संगठन एवं मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के 217 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

परिक्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – परिक्षेत्र इन्दौर

- कार्यशालाओं में प्रशिक्षण तकनीक, पेयजल उप–समिति के सदस्यों का चयन एवं गठित समितियों का क्षमतावर्धन, अभिलेखों का संधारण आदि विषयों पर प्रस्तुतीकरण किये गए एवं प्रचार–प्रसार गतिविधियों के उचित क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार की गई।

"पेयजल की गुणवत्ता एक चुनौती" राष्ट्रीय सेमिनार में सुश्री कुसुम सिंह महदेले,
माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

खुरई आवर्धन पेयजल परियोजना के अन्तर्गत उच्चस्तरीय पेयजल टंकी का निर्माण

लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश